

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1 (क) एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान स्थानान्तरित किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी में)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री लक्ष्मण सिंह गुसाई वरिष्ठ सहायक	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० नीरज सिंघल)  
अपर निदेशक।

संख्या: 911 /स्था०दो/वा०स्थाना०-सां०सं०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी हरिद्वार।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1 (ख) एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नवत तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-4 में वर्णित उनके नवीन तैनाती के स्थान स्थानान्तरित किया जाता है :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विनोद कुमार शर्मा, प्रधान सहायक	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, देहरादून	निजी अनुरोध
2	श्री रमेश सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध
3	श्री रविन्द्र सिंह चौहान कनिष्ठ सहायक	परियोजना निदेशक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(डा० नीरज सिंघल)  
अपर निदेशक।

संख्या: 912 /स्था०दो/वा०स्थाना०-सां०सं०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी/हरिद्वार।
3. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, देहरादून।
4. परियोजना निदेशक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी, देहरादून।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)  
अपर निदेशक।